मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक : 311/125/2011 भोपाल, दिनांक : 25/6/21

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
भोपाल क्र.1, भोपाल क्र.2, इंदौर क्र.1, इंदौर क्र.2, जबलपुर क्र.1, जबलपुर क्र.2, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, गुना, धार, कटनी, खण्डवा, विदिशा, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, छतरपुर, मुरैना, भिण्ड,सतना,छिन्दवाडा म.प्र.।

विषय – **जिला उपभोक्ता आयोगो मे वृहद् लोक अदालत के आयोजन के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मध्यप्रदेश राज्य आयोग एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में लम्बित प्रकरणों के निराकरण के संदर्भ में **दिनांक 24.07.2021** को **कोविड–19 मे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन करते हुऐ** लोक अदालत का आयोजन किया जाना निश्चित किया गया है। तदनुसार लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु "प्री–सिटिंग" की तिथियां संलग्न प्रारूप अनुसार शीघ्र निर्धारित करें। यह भी लेख है कि लोक अदालत का आयोजन मुख्य जिला आयोग के मुख्यालय पर किया जाना है। अतः मुख्य जिला आयोग के अध्यक्ष, सम्बद्ध जिला आयोगो के प्रकरणों के लोक अदालत में निराकरण के संबंध में अपनी बैठकों की तिथियों में "प्री–सिटिंग" की कार्यवाही कर सकते हैं और लोक अदालत के आयोजन की तिथि को संबंधित पक्षकारों/अधिवक्ताओं को मुख्य जिला आयोग के मुख्यालय पर उपस्थिति हेतु आग्रह कर सकते हैं। यदि मुख्य जिला आयोग की अपेक्षा सम्बद्ध जिला आयोग में प्रकरणों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में सम्बद्ध जिला आयोग के मुख्यालय पर लोक अदालत का आयोजन किया जा सकेगा जिसमें मुख्य आयोग के प्रकरणों को भी शामिल किया जा सकेगा।

तत्संबंध में इच्छुक पक्षकारगण/अधिवक्तागण से प्रकरण क्रमांक और आगामी नियत दिनांक सहित आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही दिनांक 24.07.2021 को लोक अदालत का आयोजन कर निराकृत प्रकरणों की संख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। लोक अदालत के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि एवं प्री सिटिंग की तिथियों को दर्शाते हुऐ समस्त जिला आयोग सूचना जारी कर जिला आयोगो की सूचना पटल पर चस्पा करें ।

साथ ही यह भी निर्देशित जाता है की यदि लोक अदालत की कार्यवाही मे सदस्यों की अनुपलब्धा की संभावना हो तो आवश्यकतानुसार ऐसे अधिवक्ता/सेवानिवृत्त न्यायाधीश/जिला आयोग के पूर्व सदस्य जो स्वेच्छा से कोई प्रतिफल/मानदेय लिये बिना (निःशुल्क) शामिल होना चाहते है, तो उनका सहयोग लेने हेतु आप स्वतंत्र है। यह भी सुनिश्चित करे की लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल होने वाले अधिवक्ता का कोई व्यक्तिगत प्रकरण जिला आयोग के समक्ष लंबित न हो। यदि कोई अधिवक्ता या व्यक्ति जिला विधिक सहायता केन्द्र में मेडियेटर के रूप में नामांकित हो तो उनका निःशुल्क सहयोग सदस्य के रूप में प्राथमिकता से लिया जा सकेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल